परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/81/3/2023 Cir. No. IRDAI/ACTL/CIR/PRO/81/3/2023 दिनांक/Date: 31.03.2023

परिपत्र Circular

प्रति/To, सभी जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता और स्वास्थ्य बीमाकर्ता All Life insurers, General insurers and Health insurers

विषयः उत्पादों के लिए "यूज़ एण्ड फाइल" प्रक्रिया Subject: "Use and File" Procedure for Products

संदर्भ/Ref:

- 1. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/207/10/2022 दिनांक 4 अक्टूबर 2022 IRDAI/ACTL/CIR/PRO/207/10/2022 Dated 4th October 2022
- 2. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/207/10/2022 दिनांक 4 अक्टूबर 2022 IRDAI/ACTL/CIR/PRO/207/10/2022 Dated 4th October 2022
- 3. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/108/06/2022 दिनांक 1 जून 2022 IRDAI/HLT/REG/CIR/108/06/2022 Dated 1st June 2022
- 4. आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/030/02/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 IRDAI/NL/GDL/F&U/030/02/2016 Dated 18th February 2016
- 5. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/6/2022 दिनांक 1 जून 2022 IRDAI/NL/CIR/MISC/107/6/2022 Dated 1st June,2022
- 6. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/पीआरओ/146/07/2022 दिनांक 14 जुलाई 2022 IRDAI/NL/CIR/PRO/146/07/2022 Dated 14th July 2022
- 7. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/212/10/2022 दिनांक 13 अक्टूबर 2022 IRDAI/NL/CIR/MISC/212/10/2022 Dated 13th October 2022

यह परिपत्र कुछ श्रेणियों में यूज़ एण्ड फाइल (यूएण्डएफ) की अनुमित देने के उद्देश्य के साथ सामंजस्य रखते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है तथा यह वर्तमान प्रक्रिया का आशोधन करने और इसके द्वारा बीमा उत्पादों का विपणन करने के लिए गतिकता को समर्थ बनाने एवं इसमें गित लाने की अपेक्षा करता है।

This circular is being issued in exercise of the powers conferred by Section 14 (2) (e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act,1999 in keeping with the objective of allowing Use and File (U&F) in certain categories and seeks to modify the existing procedure thereby enabling dynamism as well as speed to market insurance products.

1. उपर्युक्त यूएण्डएफ परिपत्रों के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेज इसके बाद आईआरडीएआई के पास फाइल करने के बजाय उत्पाद प्रबंध समिति (पीएमसी) को प्रस्तुत किये जाएँगे। उक्त उत्पादों के अंतिम अनुमोदन के लिए पीएमसी उत्तरदायी होगी।

The documents that are required to be submitted under the above mentioned U&F circulars shall hereafter be submitted to the Product Management Committee (PMC), instead of being filed with IRDAI. The PMC shall be

responsible for the final approval of the products.

- 2. पीएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि यूएण्डएफ प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों का पूरा सेट संपूर्ण हो, डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित हो तथा वर्तमान प्रयोज्य विधिक और विनियामक ढाँचे का अनुपालन करे एवं पीएमसी द्वारा अनुरक्षित किया जाए। The PMC shall be responsible to ensure that the entire set of documents required under U&F Procedure is complete, correct, digitally signed and are in compliance with the extant applicable legal and regulatory framework, and maintained by the PMC.
- 3. आईआरडीएआई निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार जाँच के लिए सभी जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में से मासिक आधार पर अभिनिर्धारित कुछ उत्पादों के संबंध में दस्तावेजों की माँग कर सकता है: IRDAI may call for documents in respect of a few products identified on monthly basis from amongst all the life insurers, general insurers and health insurers for

examination as per the following procedure:

- i. उक्त अभिनिर्धारण विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकता है, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ किये गये उत्पादों की संख्या, प्रारंभ किये गये उत्पादों के संबंध में प्राप्त शिकायतें/अपविक्रय (मिस-सेलिंग)/ वितरण माध्यम, विशिष्ट उत्पादों के आक्रामक विक्रय से संबंधित समाचार आलेख, प्रारंभ किये गये उत्पादों के विक्रय के परिमाण, अत्यधिक पालिसी निरसन अथवा निःशुल्क अवलोकन (फ्री लुक) निरसन, अथवा उत्पादों / अपेक्षा (सिलिसिटेशन) से संबंधित कोई अन्य विषय।
 - The identification could depend on various factors like number of products launched during the previous financial year, complaints received on the products launched/mis-selling/distribution channel, news articles of aggressive selling of specific products, sales volumes of the products launched, rampant policy cancellations or free look cancellations, or any other matter concerning products/solicitation.
- ii. जब भी माँग की जाती है तब बीमाकर्ता आईआरडीएआई को दस्तावेजों का पूरा सेट दो दिन की अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा। Insurer shall submit the entire set of documents to IRDAI, whenever called for, within a period of two days.
- 4. आईआरडीएआई यू&एफ दस्तावेजों की स्थान पर (आनसाइट) जाँच संचालित कर सकता है। IRDAI may conduct onsite examination of U&F documents.
- 5. बीमाकर्ता अनुबंध-क में विनिर्दिष्ट रूप में मानक फार्मेट में सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
 Insurer shall submit the certificate signed by the CEO in the standard format as specified in Annexure-A.
- 6. बीमाकर्ता उत्पाद के प्रारंभ की तारीख से प्रथम चार तिमाहियों के लिए, प्रारंभ किये गये उत्पादों के संबंध में अनुबंध-ख के अनुसार तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

 The insurer shall submit quarterly report as per Annexure-B, with respect to the products launched for the first four quarters from the date of launch of the product.

- 7. बीमाकर्ता उत्पाद प्रारंभ करने से पहले अथवा यूआईएन के आबंटन से सात दिन के अंदर, जो भी पहले हो, यूआईएन के कालक्रमानुसार अपनी वेबसाइट में पालिसी वाक्यरचना/दस्तावेज, विक्रय साहित्य, प्रीमियम परिकलक (कैलकुलेटर) अपलोड करेंगे।
 Insurers shall upload the policy wordings/documents, sales literature, premium calculator, in their website in the chronological order of UINs, before the product is launched or within seven days of allotment of UIN, whichever is earlier.
- 8. बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि उत्पाद को प्रारंभ करने और बीमा पालिसियों का रखरखाव करने के लिए अपेक्षत प्रणालियाँ, मैनुअल और समस्त आवश्यक बुनियादी व्यवस्था विद्यमान हों। Insurers shall ensure that the systems, procedures, manuals and all essential infrastructure required for launching the product and maintenance of insurance policies are put in place.
- 9. इस परिपत्र में उल्लिखित उत्पादों से आशय आधारभूत उत्पादों एवं आधारभूत उत्पाद के साथ संबद्ध राइडरों / ऐड-आनों से है।
 The products referred to in this circular mean base products as well as riders/add-ons attached to the base product.
- 10. ऊपर संदर्भित परिपत्रों के उपबंध इस परिपत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा को छोड़कर अन्य सीमाओं तक विधिमान्य रहेंगे।

 The provisions of the above referred circulars shall remain valid except to the extent specified under this circular.
- 11. यह परिपत्र 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त होता है। The circular comes into force with effect from 1st April 2023.

हस्ता./Sd/-(एस पी चक्रवर्ती/ S P Chakraborty) मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकिक) / Chief General Manager (Actuarial)

अनुबंध-क/ Annexure-A

क्रम सं.	मद	विवरण
S No	Item	Particulars
1	जीवन / स्वास्थ्य / साधारण बीमाकर्ता का नाम	
	Name of Life / Health / General Insurer	
2	आईआरडीएआई द्वारा आबंटित पंजीकरण सं.	
	Registration No. allotted by IRDAI	
3	उत्पाद का प्रकार / Type of product	
4	उत्पाद का नाम / Name of the product	
5	क्या नया है या आशोधन / Whether New or Modification	
6	पीएमसी द्वारा अनुमोदन की तारीख / Date of approval by PMC	
7	यूआईएन / UIN	
8	प्रारंभ करने की तारीख / Date of launch	

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित उत्पाद बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, अन्य लागू अधिनियमों और उनके संबंधित संशोधनों, यूज़ एण्ड फाइल परिपत्रों / समय-समय पर उनके संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देशों सहित प्राधिकरण द्वारा लागू किये गये वर्तमान विनियामक ढाँचे एवं सभी अन्य प्रयोज्य सांविधिक कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करता है।

This is to certify that the proposed product complies with the provisions of the Insurance Act, 1938, the IRDA Act, 1999, other applicable Acts and amendments thereon, extant Regulatory framework put in place by the Authority along with Use and File circulars/guidelines issued thereon from time to time and all other applicable statutory laws.

मैं यह भी वचन देता हूँ कि, बीमाकर्ता I also undertake that, Insurer shall

- i) यूएण्डएफ प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों के पूरे सेट का अनुरक्षण करेगा तथा जब भी अपेक्षित हो तब आईआरडीएआई को उक्त दस्तावेज दो दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा। maintain the entire set of documents required under U&F Procedure and shall submit the documents to the IRDAI, as and when required, within two days
- ii) आशोधनों के लिए अनिवार्य की गई उचित प्रक्रिया को पूरा किये बिना कोई भी आशोधन नहीं करेगा।
- not modify without completing the due process mandated for modifications
- iii) उत्पाद को प्रारंभ करने और बीमा पालिसियों के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित उपयुक्त प्रणालियों, प्रक्रियाओं, मैनुअलों, समस्त आवश्यक बुनियादी व्यवस्था को लागू करेगा। put in place appropriate systems, procedures, manuals, all essential infrastructure required for launching the product and maintenance of insurance policies
- iv) उत्पाद के सभी आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करेगा। upload all the required documents of the product on the website

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/ Signed by Chief Executive Officer नाम/ Name: दिनांक/ Date:

अनुबंध-ख/ Annexure-B

तिमाही रिपोर्ट Quarterly Report

1. बीमाकर्ता का नामः Name of the Insurer:

2. माह/ वर्ष को समाप्त तिमाहीः For the quarter ended mm/yyyy

क्रम सं. SI. No.	उत्पाद का नाम Name of product	यूआईएन UIN	प्रारंभ करने की तारीख Date of launch	बेची गई पालिसियों की संख्या Number of Policies sold	जीवनों की संख्या [*] Number of Lives*	सकल प्रीमियम (लाख रु. में) Gross Premium (Rs in lakh)	आश्वासित / बीमाकृत राशि (लाख रु. में) Sum Assured/Insured (Rs in lakh)

*जीवन और स्वास्थ्य उत्पादों के लिए लागू

मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/ Signed by the Chief Compliance Officer नाम/ Name:

^{*}Applicable for Life and Health products